

भारत सरकार  
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय  
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2699  
05 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: दूरदराज के क्षेत्रों में किसानों तक योजनाओं की जानकारी का प्रसार

2699. श्रीमती बिजुली कलिता मंधी:

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कार्यक्रम की स्वैच्छिक प्रकृति को देखते हुए, दूरदराज के क्षेत्रों में किसानों को योजना के लाभों के बारे में सूचित करने के लिए किए जा रहे उपायों का व्यौरा क्या है;

(ख) स्वचालित मौसम केंद्रों और वर्षामापी यंत्रों में वृद्धि से विशेष रूप से राजस्थान (शुष्क क्षेत्र) और केरल (मानसून पर निर्भर फसलें) जैसे राज्यों को लाभ होगा;

(ग) क्या प्रौद्योगिकी आधारित उपज अनुमान प्रणाली (यस-टेक) और मौसम सूचना एवं नेटवर्क डेटा प्रणाली (डब्ल्यूआईएनडीएस) का विस्तार करने की कोई योजना है ताकि दीर्घावधि में फसल जोखिमों का अधिक प्रभावी ढंग से पूर्वानुमान लगाने के लिए एआई-संचालित विश्लेषण या मशीन लर्निंग को शामिल किया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकर)

(क) कृषि एवं किसान कल्याण विभाग दूरदराज के क्षेत्रों सहित संपूर्ण देश में कृषक समुदाय के बीच योजना के लाभों के संबंध में जागरूकता सृजित करने और प्रसारित करने के लिए डीडी क्षेत्रीय केंद्र, डीडी किसान और ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्रक स्कीम "कृषि विस्तार के लिए मास मीडिया समर्थन" का कार्यान्वयन कर रहा है। इस योजना के तहत, 18 डीडी क्षेत्रीय केंद्रों, आकाशवाणी और डीडी किसान के 97 एफएम स्टेशनों का उपयोग विभागीय योजनाओं, मौजूदा पहलों, नीतिगत निर्णयों, सलाह आदि के व्यापक प्रचार के लिए किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, "केंद्रित प्रचार और जागरूकता अभियान" के एक भाग के रूप में दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो और निजी टीवी और रेडियो चैनलों के माध्यम से कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के योजनाओं के संबंध में जानकारी प्रसारित करने के लिए ऑडियो-विजुअल स्पॉट्स का उपयोग किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, आउटडोर प्रचार के साथ-साथ संपूर्ण देश के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रिंट विज्ञापनों के माध्यम से भी प्रचार और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। विभाग की किसान कल्याण योजनाओं के संबंध में बेहतर पहुँच (आउटरीच) और व्यापक प्रचार के लिए फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स, यूट्यूब, लिंकडिन, व्हाट्सएप, पब्लिक ऐप आदि जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी उपयोग किया जा रहा है।

(ख) से (घ) कृषि एवं किसान कल्याण विभाग प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली हानि के समय किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केंद्रीय क्षेत्रक योजना-'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' (पीएमएफबीवाई) का कार्यान्वयन कर रहा है और खरीफ 2016 सीजन से देश में उपज सूचकांक आधारित 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' (पीएमएफबीवाई) और मौसम सूचकांक आधारित 'पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना' (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) का शुभारंभ कर दिया गया है। यह मांग

आधारित योजना है और खरीफ 2020 से किसानों को प्रीमियम सब्सिडी पर वित्तीय देयता केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 50:50 के आधार पर और पूर्वोत्तर राज्यों तथा अन्य पहाड़ी राज्यों में 90:10 के आधार पर साझा की जाती है, यह योजना प्रारंभ से ही राज्यों और खरीफ 2020 से सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक है।

किसानों की सहायता के लिए सहायक तंत्र के रूप में, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित फसलों और क्षेत्र के लिए बुआई पूर्व से फसलोपरांत तक फसल क्षति के विरुद्ध व्यापक जोखिम बीमा प्रदान करती है। यह योजना न केवल बाढ़, जलप्लावन, भूस्खलन, सूखा, हीट-वेव, ओलावृष्टि, चक्रवात, कीट/रोग, प्राकृतिक अग्नि और बिजली, टैपेस्ट, आंधी, तूफान, चक्रवात, टोर्नाडो आदि जैसी गैर-निवारणीय प्राकृतिक जोखिमों/और चरम जलवायु अपदार्थों के कारण होने वाली व्यापक उपज हानि से सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि स्थानीय जोखिमों (ओलावृष्टि, भूस्खलन, जलप्लावन, बादल फटना और प्राकृतिक अग्नि) और चक्रवात, चक्रवाती/बे मौसम वर्षा और ओलावृष्टि और प्रिवैंडेट बुआई(बाधित बुआई) के कारण फसलोपरांत हानि से भी सुरक्षा प्रदान करती है।

इसके अतिरिक्त, इस योजना में जलवायु संबंधी फसल हानियों के विरुद्ध विंड्स और यस-टेक जैसे विभिन्न तकनीकी हस्तक्षेप भी शामिल किए गए हैं। योजना में इन तकनीकी हस्तक्षेपों का विवरण निम्नानुसार है:

क) विंड्स (मौसम सूचना नेटवर्क और डेटा प्रणाली) - देश की एक अग्रणी पहल है, जिसके तहत तात्कालिक/ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर क्रमशः स्वचालित मौसम स्टेशनों और वर्षा मापी का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है, ताकि विभिन्न सरकारी और अन्य संस्थाओं के लिए हाइपर-लोकल मौसम डेटा का एक सुदृढ़ डेटाबेस बनाया जा सके, जिसका उपयोग सभी किसान और कृषि उन्मुख सेवाओं के लिए किया जा सके।

ख) यस-टेक (प्रौद्योगिकी आधारित उपज अनुमान) - एक प्रौद्योगिकी-आधारित उपज अनुमान प्रणाली है जिसे देश के 100 जिलों में दो वर्षों के कठोर परीक्षण और पायलट परीक्षणों के पश्चात विकसित किया गया है। किसानों के लाभ के लिए अनुमोदित प्रौद्योगिकियों/उपायों का उपयोग के माध्यम से, रिमोट सेंसिंग सूचकांकों, मौसम सूचकांकों, फसल फेनोलॉजिकल सूचना, सॉइल का प्रकार आदि से प्राप्त आंकड़ों की सहायता से फसल हानि आकलन और उपज अनुमान लगाया जाता है।

राजस्थान और केरल राज्य विंड्स (मौसम सूचना नेटवर्क और डेटा सिस्टम) कार्यान्वित कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत मौसम संबंधी डेटाबेस तैयार करने के लिए संपूर्ण राज्य भर में स्वचालित मौसम केंद्र (एडब्ल्यूएस) और स्वचालित वर्षा मापी (एआरजी) स्थापित किए जाएँगे।

\*\*\*\*\*